

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-93/09

हेमराज गुजर (आस्थापना)

दायर दिनांक:- 01.06.2009

जीसीएमएस नं. 2009/00159

उनवान

धनेश पुत्र लदूर बगै0 जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन हाल  
तहसील श्रीमहावीरजी

वादीगण-06

बनाम

बब्बु पुत्र लदूर बगै0 जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन हाल  
तहसील श्रीमहावीजी

प्रतिवादीगण-08

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती, भूमि विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 53, 88 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 26.04.2022 से साक्ष्यवादी में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 93/09 दावा धनेश बनाम बब्बु अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन